

प्रधारियों और चौकी प्रधारियों को निर्देशित किया है कि स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारी/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए कार्यस्थल के लिए रवाना करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को आगामी 15 जून से पहले हर हाल में अपनी नवीन पदस्थापना के स्थल पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।